

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
राजस्व	59289.46	31747.05	91036.51	71741.61	49623.62	121365.23	70741.61	47896.82	118638.43	88543.00	58682.46	147225.46		
पूँजी	10213.75	...	10213.75	9000.00	...	9000.00	10000.00	...	10000.00	11000.00	...	11000.00		
जोड़	69503.21	31747.05	101250.26	80741.61	49623.62	130365.23	80741.61	47896.82	128638.43	99543.00	58682.46	158225.46		
राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान														
योजना भिन्न अनुदान														
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान														
1.01	राजस्व खाते में घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	3601	...	11653.00	11653.00	...	10808.00	10808.00	...	10808.00	10808.00	...	11716.00	11716.00
1.02	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	3601	...	7842.77	7842.77	...	13713.35	13713.35	...	12726.17	12726.17	...	18654.60	18654.60
1.03	सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	4359.00	4359.00	...	4346.00	4346.00	...	4731.00	4731.00
1.04	सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए अनुदान	3601	60.63	60.63
1.05	वनों के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान	3601	...	14.00	14.00
1.06	विरासत संरक्षण को सहायता अनुदान	3601	...	18.46	18.46
1.07	राज्य की विशिष्ट (जरूरतों) के लिए सहायता अनुदान	3601	...	1244.40	1244.40	...	6723.75	6723.75	...	6714.75	6714.75	...	6723.75	6723.75
1.08	राज्य आपदा रिस्पांस निधि (एसडीआरएफ) (क्षमता निर्माण सहित)	3601	...	4442.63	4442.63	...	5016.70	5016.70	...	5016.70	5016.70	...	5262.29	5262.29
1.09	राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल के लिए सहायता अनुदान	3601
1.10	निष्पादन प्रोत्साहन अनुदान के लिए सहायता अनुदान	3601	...	630.00	630.00	...	510.00	510.00	...	510.00	510.00	...	360.00	360.00
1.11	पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान	3601	...	625.00	625.00	...	1875.00	1875.00	...	1751.00	1751.00	...	2500.00	2500.00
1.12	अभिशासन के लिए सहायता अनुदान	3601	...	1368.94	1368.94	...	2028.82	2028.82	...	1431.20	1431.20	...	3528.82	3528.82
1.13	प्रारंभिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान	3601	...	3675.00	3675.00	...	4264.00	4264.00	...	4207.37	4207.37	...	4881.00	4881.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	...	31514.20	31514.20	...	49298.62	49298.62	...	47571.82	47571.82	...	58357.46	58357.46
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केन्द्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00
जोड़-योजना भिन्न अनुदान	...	31839.20	31839.20	...	49623.62	49623.62	...	47896.82	47896.82	...	58682.46	58682.46
जोड़-राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान	...	31839.20	31839.20	...	49623.62	49623.62	...	47896.82	47896.82	...	58682.46	58682.46
राज्य तथा संघशासित क्षेत्र को सहायता अनुदान												
योजना भिन्न अनुदान												
3. अर्थोपाय अग्रिम												
3.01 अदायगियां	7601	1000.00	1000.00	...	3000.00	3000.00	...	1000.00
3.02 घटाइए - वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	-1000.00	-1000.00	...	-3000.00	-3000.00	...	-1000.00
कुल
राज्य/संघशासित क्षेत्र को अनुदान												
योजना भिन्न अनुदान												
4. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना												
4.01 राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075	...	1100.00	1100.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00
4.02 तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के बट्टे खाते डाले ऋण	2075	2055.00	2055.00	...	100.00
4.03 घटाइए - निवल प्राप्तियां	0075	-500.00	-500.00	...	-2555.00	-2555.00	...	-100.00
4.04 घटाइए - निवल प्राप्तियां	7601	...	-1100.00	-1100.00
कुल
राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान ऋण												
5. राष्ट्रीय निवेश निधि												
5.01 राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	3601	2731.42	...	2731.42	7732.00	...	7732.00	3226.98	...	3226.98	7365.00	...
5.02 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-1031.42	...	-1031.42	-3076.00	...	-3076.00	-1284.22	...	-1284.22	-2931.00	...
5.03 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी) के लिए एनआईएफ से ली गई धनराशि	3601	-1700.00	...	-1700.00	-4656.00	...	-4656.00	-1942.76	...	-1942.76	-4434.00	...
कुल
6. एकमुश्त अनुदान												
6.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	3601	20007.67	...	20007.67	23263.00	...	23263.00	21831.77	...	21831.77	25589.00	...
6.02 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	3130.90	...	3130.90	2000.00	...	2000.00	3350.00	...	3350.00	2500.00	...
6.03 अन्य परियोजनाओं के लिए	3601	1664.34	...	1664.34	1000.00	...	1000.00	1400.00	...	1400.00	1261.00	...

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता													
6.04 केन्द्रीय सहायता	3601	3917.00	...	3917.00	5400.00	...	5400.00	8370.00	...	8370.00	9571.00	...	9571.00
6.05 विशेष केन्द्रीय सहायता – पर्वतीय क्षेत्र	3601	271.60	...	271.60	299.00	...	299.00	299.00	...	299.00	300.00	...	300.00
6.06 विशेष केन्द्रीय सहायता – सीमावर्ती क्षेत्र	3601	691.00	...	691.00	900.00	...	900.00	1003.22	...	1003.22	990.00	...	990.00
6.07 विशेष योजना सहायता	3601	7085.52	...	7085.52	2600.00	...	2600.00	5500.00	...	5500.00	6005.00	...	6005.00
6.08 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	3601	8757.53	...	8757.53	12620.00	...	12620.00	7460.00	...	7460.00	14242.00	...	14242.00
6.09 अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	3601	5110.00	...	5110.00	6107.61	...	6107.61	6607.61	...	6607.61	8382.00	...	8382.00
6.10 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्रवाई योजना (एनईजीएपी)	3601	131.44	...	131.44	190.00	...	190.00	190.00	...	190.00	190.00	...	190.00
6.11 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि – राज्य संघटक	3601	2130.00	...	2130.00	4840.00	...	4840.00	7280.00	...	7280.00	6990.00	...	6990.00
6.12 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)													
6.12.01 शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन से संबंधित उप मिशन	3601	1480.22	...	1480.22	5922.00	...	5922.00	4000.00	...	4000.00	5900.00	...	5900.00
6.12.02 लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	3601	1223.44	...	1223.44	2300.00	...	2300.00	1300.00	...	1300.00	2100.00	...	2100.00
6.12.03 शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप मिशन (एसएमबीएसयूपी)	3601	1702.37	...	1702.37	2300.00	...	2300.00	1350.00	...	1350.00	2100.00	...	2100.00
6.12.04 एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसडीपी)	3601	878.81	...	878.81	1000.00	...	1000.00	700.00	...	700.00	900.00	...	900.00
6.12.05 राजीव आवास योजना (आरएवाई)	3601	1000.00	...	1000.00	100.00	...	100.00	1522.00	...	1522.00
जोड़- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)		5284.84	...	5284.84	12522.00	...	12522.00	7450.00	...	7450.00	12522.00	...	12522.00
6.13 चेन्नै में डिशालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
6.14 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	1107.62	...	1107.62
जोड़- एकमुश्त अनुदान		59289.46	...	59289.46	71741.61	...	71741.61	70741.61	...	70741.61	88543.00	...	88543.00
7. एकमुश्त ऋण													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
7.01 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7601	10213.75	...	10213.75	9000.00	...	9000.00	10000.00	...	10000.00	11000.00	...	11000.00
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमों के लिए अनुदान ऋण		69503.21	...	69503.21	80741.61	...	80741.61	80741.61	...	80741.61	99543.00	...	99543.00
8. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण / राष्ट्रीय आपदा निधि में अंतरण (एनडीआरएफ)	2245	...	3900.01	3900.01	...	4525.00	4525.00	...	3998.00	3998.00	...	4620.00	4620.00
8.01 घटाइए - आयकर / निगम कर पर अधिभार आदि	0021	...	-3900.01	-3900.01	...	-4525.00	-4525.00	...	-3998.00	-3998.00	...	-4620.00	-4620.00
<i>कुल</i>	
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में सहायता (एनडीआरएफ)	2245	...	4179.26	4179.26	...	4525.00	4525.00	...	4525.00	4525.00	...	4620.00	4620.00
9. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता / राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में सहायता (एनडीआरएफ)	
9.01 घटाइए-एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से अंतरण द्वारा पूरी की गई धनराशि	2245	...	-3900.01	-3900.01	...	-4525.00	-4525.00	...	-4525.00	-4525.00	...	-4620.00	-4620.00
जोड़-		...	279.25	279.25
10. वास्तविक वसूलियां	2075	...	-371.40	-371.40
	3601
<i>जोड़</i>		...	<i>-371.40</i>	<i>-371.40</i>
कुल जोड़		69503.21	31747.05	101250.26	80741.61	49623.62	130365.23	80741.61	47896.82	128638.43	99543.00	58682.46	158225.46
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
राज्य योजना:													
1. एकमुश्त ऋण	43601	10213.75	...	10213.75	9000.00	...	9000.00	10000.00	...	10000.00	11000.00	...	11000.00
2. एकमुश्त अनुदान	43601	59289.46	...	59289.46	71741.61	...	71741.61	70741.61	...	70741.61	88543.00	...	88543.00
जोड़ - राज्य योजना		69503.21	...	69503.21	80741.61	...	80741.61	80741.61	...	80741.61	99543.00	...	99543.00
जोड़		69503.21	...	69503.21	80741.61	...	80741.61	80741.61	...	80741.61	99543.00	...	99543.00

1. **राज्य सरकारों को गैर-योजना अनुदान:** राज्य सरकारों को अनुदान हेतु अनुमान तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा अन्य अनुदानों पर आधारित हैं। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गैर-योजना अनुदान राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों में सुधार, सड़कों और पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत तथा

राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सड़कों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार आदि के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान:** केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के बदले अनुदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए यह प्रावधान किया गया है।

3. **अर्थोपाय अग्रिम:** यह अल्पकालिक नकदी विसंगति को दूर करने के लिए राज्य सरकारों हेतु अस्थायी अग्रिम के लिए प्रावधान है।

4. **ऋण माफी:** तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों और केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण राहत हेतु 100.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

6.01. **सामान्य केंद्रीय सहायता:** सामान्य केंद्रीय सहायता राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए असंबद्ध सहायता है जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पर आवंटित की जाती है।

6.02. **राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता इस मांग के माध्यम से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विदेशी सहायता के बैंक-टू-बैंक अंतरण की नई प्रणाली प्रारंभ की गई थी जिसके अंतर्गत विदेशी सहायता उन्हीं शर्तों पर सामान्य श्रेणी के राज्यों को प्रदान की जाती है जिन पर यह सहायता दाता एजेंसियों से केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। चालू परियोजनाओं (01 अप्रैल, 2005 से पहले हस्ताक्षरित) के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए सहायता सामान्य केंद्रीय सहायता की पद्धति के आधार पर प्रदान की जाती है (70 ऋण : 30 अनुदान)। तथापि विशेष वर्ग के राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण पद्धति पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।

6.03. **अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह सहायता परियोजनाओं से जुड़ी होती है और सामान्यतः सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30 प्रतिशत अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान घटक शामिल होता है।

6.04. **विशेष केंद्रीय सहायता:** यह सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए संसाधनों में अंतर को पूरा करने के लिए आवंटित की जाती है।

6.05. **पर्वतीय क्षेत्र / पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** यह 100 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान है जो पहचाने गए पर्वतीय क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों में विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।

6.06. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** यह 100 प्रतिशत अनुदान है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 17 राज्यों में विकास परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करना तथा सहभागी दृष्टिकोण अपनाकर स्कीमों में परिवर्तन के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं में अंतर को पूरा करना है।

6.07. **विशेष योजना सहायता:** यह सहायता राज्यों द्वारा अभिनिर्धारित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों (सामान्यतः 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में) को प्रदान की जाती है जो विकास के लिए गैर आवर्ती व्यय हेतु किसी केंद्रीय स्कीम में शामिल नहीं हैं।

6.08. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** यह केंद्रीय सहायता सिंचाई परियोजनाओं, वाइ प्रबंधन कार्यों को पूरा करने, कमांड एरिया विकास और जल प्रबंधन तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को प्रदान की जाती है।

6.09. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के लिए सहायता में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय अशक्तता पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं।

6.10. **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** इस समय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के चार घटक हैं - सामान्य सेवा केंद्र, राज्य व्यापी एरिया नेटवर्क, राज्य डाटा केंद्र और क्षमता निर्माण। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना के अंतर्गत मिशन मोड राज्य राजकोष कंप्यूटरीकरण परियोजना भी प्रारंभ की गई है।

6.11. **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष स्कीम का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करना है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के राज्य घटक में बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडीशा के कालाहांडी-बोलनगीर-कोरापुत जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड सूखा उपशमन पैकेज और 78 चुनिंदा आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना के लिए धनराशि भी इस प्रावधान में शामिल हैं।

6.12. **जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** अवसंरचना सेवाओं के एकीकृत विकास के लिए दिसम्बर, 2005 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी अवसंरचना और गवर्नेंस से संबंधित उप-मिशन, छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम, शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवाओं से संबंधित उप-मिशन तथा एकीकृत आवास और स्वम विकास कार्यक्रम शामिल हैं। राजीव आवास योजना, राज्य क्षेत्र की एक नई स्कीम है जिसकी घोषणा 2009-10 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य सन् 2020 तक देश को स्वम मुक्त बनाना है।

6.14. **बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता:** बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने के लिए प्रावधान को मंद सं. 6.11 पर वीआरजीएफ के लिए एससीए के अंतर्गत शामिल किया गया है और इस घटक के लिए, वीआरजीएफ हेतु समग्र आवंटन के अंतर्गत बजट अनुमान 2012-13 में 1400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

7.01. **लेखों के पूंजी शीर्ष के अंतर्गत राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण:** लेखों के पूंजी शीर्ष के अंतर्गत राज्यों की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ऋण घटक हेतु धनराशि का प्रावधान।

8. **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता:** 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थापित तत्कालीन राष्ट्रीय आपदा आपात कोष का 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आपात कोष से एकत्रित धनराशि, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंतरित कर दी जाती है तथा राज्यों की सहायता के लिए राज्य के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से पूरक धनराशि प्रदान की जाती है ताकि राज्यों की क्षमता से परे आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान की जा सके।